US-117 US-117
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा
विशेष पत्र वाहक / ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(35)/अतां./ ता प्र.सं.117/द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022/दिविस/श.वि./1357-59 दिनांकः 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. 117 मान्नीय विधायक श्री प्रीति प्रियंका तोमर दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 117

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	लोगों को हानिकारक विकीरण से बचाने के लिए दिल्ली में मोबाइल टावर लगाने की क्या नीति है; और	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निजी सम्पत्ति पर मोबाईल टावर की अनुमति एस.डी.एम.सी एवं Cellular Operators Association of India & Ors. के बीच हुए Settlement Agreement दिनांक 30.01.2017 के अनुसार दी जाती है। इस संदर्भ मे Settlement Agreement के कम सं0 11 के तहत हानिकारक विकीरण की शिकायत, दूर संचार विभाग Term Cell, भारत सरकार को की जा सकती है।
ख	एसडीएमसी द्वारा आर के पुरम विधानसभा में बार–बार मोबाइल टावर लगाना रोकने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, पूर्ण विवरण दें?	विभागीय नीति अनुरूप प्राप्त आवेदनों पर विभाग द्वारा संज्ञान लेकर ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। ज्ञात है कि विभागीय लेखानुसार आर.के.पुरम विधानसभा क्षेत्र में 01/01/2004 से अब तक 139 अनुमतियां/एनओसी नियमानुसार प्रदान की गई है।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02